मॉनसून सत्र में पूछे गए प्रश्न

अष्टादश विधान सभा, तृतीय सत्र, 200-बक्सर विधान सभा क्षेत्र के लिए माननीय विधायक, श्री आनन्द मिश्र द्वारा पटल पे रखे गए मुद्दे

Sl No.	Topic	Type	Department	Fixed on	Status
1	कंप्यूटर शिक्षक नियमावली	Short Notice (अल्पसूचक प्रश्न)	Education	21.07.2026	Replied
2	निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से जांच	Short Notice (अल्पसूचक प्रश्न)	Education	21.07.2026	Replied
3	ग्रामीण पथों पर 'हाइट गेज' व 'वजन सीमा बोर्ड'	Short Notice (अल्पसूचक प्रश्न)	Rural Works	22.07.2026	Replied
4	सामुदायिक भवन पर स्थानीय दबंगों द्वारा अवैध कब्जा	Short Notice (अल्पसूचक प्रश्न)	Panchayati Raj	22.07.2026	Replied
5	पेयजल सुनिश्चित करने तथा जल संचयन	Short Notice (अल्पसूचक प्रश्न)	Rural Development	23.07.2026	
6	जी.आई. टैग	Short Notice (अल्पसूचक प्रश्न)	Agriculture	23.07.2026	Replied
7	जिला अस्पतालों में कीमोथेरेपी/कैंसर डे-केयर	Short Notice (अल्पसूचक प्रश्न)	Health	24.07.2026	Replied
8	जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करना	Short Notice (अल्पसूचक प्रश्न)	Disaster Management	24.07.2026	Replied
9	राज्य में भविष्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को उनके गृह प्रमंडल या अधिकतम 100 कि.मी. के दायरे में ही परीक्षा केंद्र आवंटित करने की नीति लागू करने के संबंध में	Call Attention (ध्यानाकर्षण)	General Administration	21.07.2026	
10	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेज़ी विषय को अनिवार्य उत्तीर्णता श्रेणी से बाहर किए जाने के कारण छात्रों के भविष्य पर मंडराते संकट के संबंध में	Call Attention (ध्यानाकर्षण)	Education	22.07.2026	
11	नवनिर्मित इटाढ़ी ओवरब्रिज का जाँच	Zero Hour (शून्य काल)	Road Construction Department	21.07.2026	
12	परीक्षा केंद्र गृह प्रमंडल में निर्धारित करने को लेकर नीति निर्माण	Zero Hour (शून्य काल)	Education	22.07.2026	
13	मैट्रिक में अंग्रेज़ी को भी अनिवार्य विषय बनाने की मांग।	Zero Hour (शून्य काल)	Education	23.07.2026	
14	अस्पतालों में रेफरल नीति बनाने हेतु	Zero Hour (शून्य काल)	Health	24.07.2026	
15	पश्चिमी बक्सर की तर्ज पर आधुनिक लिफ्ट तकनीक द्वारा गंगा के पानी को पूर्वी पूर्वी बक्सर के नहर तंत्र में डाला जाए	Appeal (निवेदन)	Water Resources	21.07.2026	
16	बक्सर जिले में सरकारी कोल्ड स्टोरेज	Appeal (निवेदन)	Agriculture	20.07.2026	
17	20 इलेक्ट्रिक बसें बक्सर जिला मुख्यालय को आवंटित की जाएँ	Appeal (निवेदन)	Transport	22.07.2026	
18	घनी आबादी वाले क्षेत्र में खुलेआम अवैध पशु वध एवं मांस विक्रय की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं	Petition (याचिका)	Urban Development & Housing Department	21.07.2026	
19	वार्ड संख्या - 31, 32, एवं 33 का शीघ्र तकनीकी सर्वेक्षण करते हुए आवश्यकतानुसार पक्की नाली एवं समुचित जल निकासी व्यवस्था का निर्माण कराया जाए	Petition (याचिका)	Urban Development & Housing Department	22.07.2026	
20	भोजपुरी भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में अविलम्ब शामिल करवाने हेतु	Private Member's Resolution (गैर सरकारी संकल्प)	Ministry of Home Affairs	24.07.2026	Replied

1. कंप्युटर शिक्षा नियमावली

Short Notice Question Details

Business Type	Question Hour
Diary Number	18/3/321
Constituency(s)	Buxar
Minister	Shri. MITHILESH TIWARI (99)
Subject	कंप्यूटर शिक्षक नियमावली
Questions	क्या मंत्री, शिक्षा विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि 1. क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा (TRE) के कई चक्र पूरे होने के बावजूद, वर्ष 2024 से विशेष रूप से कंप्यूटर विज्ञान शिक्षकों के लिए एक स्पष्ट सेवा नियमावली जारी नहीं की गई है; 2. क्या यह बात सही है कि इस स्थायी नियमावली के अभाव में हजारों IT और कंप्यूटर साइंस स्नातक युवाओं को रोजगार अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है और रिक्तियों को तदर्थ व्यवस्था के तहत रखा जा रहा है या उनमें देरी की जा रही है; 3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं,तो क्या सरकार आगामी टीआरई 4.0 जैसी परीक्षाओं का रास्ता साफ करने के लिए किस निश्चित तिथि तक समर्पित कंप्यूटर शिक्षक नियमावली को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित करने का विचार रखती है ?नहीं तो क्यों?
Generated Paper	18_3_SN_Org_3953.pdf
Priority	0
Submitted Date	07/07/2026 01:43 AM

श्री आनंद मिश्र (2001) (बक्सर), माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–18/03/321		श्री मिथिलेश तिवारी, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
	प्रश्न	**उत्तर**
(क)	क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा (TRE) के कई चक्र पूरे होने के बावजूद, वर्ष 2024 से विशेष रूप से कंप्यूटर विज्ञान शिक्षकों के लिए एक स्पष्ट सेवा नियमावली जारी नहीं की गई है;	वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2023 एवं संशोधित नियमावली 2024 अन्तर्गत विद्यालय अध्यापकों के सेवाशर्त का निर्धारण किया गया है। इस सेवाशर्त नियमावली से कम्प्यूटर विज्ञान विषय में नियुक्त विद्यालय अध्यापक भी सम्मिलित है।
(ख)	क्या यह बात सही है कि इस स्थायी नियमावली के अभाव में हजारों IT और कंप्यूटर साइंस स्नातक युवाओं को रोजगार अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है और रिक्तियों को तदर्थ व्यवस्था के तहत रखा जा रहा है या उनमें देरी की जा रही है;	
(ग)	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आगामी टीआरई 4.0 जैसी परीक्षाओं का रास्ता साफ करने के लिए किस निश्चित तिथि तक समर्पित कंप्यूटर शिक्षक नियमावली को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित करने का विचार रखती है; नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि उक्त नियमावली के प्रावधान के अनुरूप बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तीन चरणों में विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की अनुशंसा की गयी जिसके आधार पर 8365 कम्प्यूटर विज्ञान के शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। इसी प्रकार चौथे चरण के लिए भी कम्प्यूटर विज्ञान विषय के रिक्त पदों की गणना करते हुए आयोग को अधियाचना भेजी जा रही है।

(ह०) 18.7.26
उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–11(नि०)/वि०मं० 01–54/2026 751 पटना, दिनांक– 18.7.26

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, बिहार विधान सभा, सचिवालय, बिहार, पटना/प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 18.7.26
उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

Desktop/सभा/मानसूनसत्रजुलाई202653

आनन्द मिश्र
विधायक, बक्सर, बिहार विधान सभा

2. जांच रिपोर्ट, जवाबदेही एवं कार्रवाई संबंधी प्रश्न

डायरी संख्या: **18/3/320**
तिथि: **07/07/2026**
पावती समय: **01:36 AM**

अल्प सूचित प्रश्न

विषय :-	निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से जांच
मंत्री:-	मिथिलेश तिवारी (99)
Department:-	शिक्षा
प्रश्नोत्तर दिनांक स्वीकृत अवस्था में:-	
प्राथमिकता, यदि कोई हो:-	0

प्रेषक:
आनन्द मिश्र (200)(200) , सदस्य

सेवा में:
प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा
पटना

महोदय,

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 78 के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित अल्पसूचित प्रश्न की सूचना देता हूँ / देती हूँ
क्या शिक्षा विभाग :

दैनिक समाचार पत्र में प्रकशित खबर के आलोक में ,क्या मंत्री, शिक्षा विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

1. क्या यह बात सही है कि राज्य में विद्यालयों में बेंच-डेस्क आपूर्ति हेतु आवंटित ₹885 करोड़ के खरीद घोटाले की प्रारंभिक विभागीय जांच रिपोर्ट में 340 स्कूलोंको दोषी चिन्हित किया गया था, परंतु अंतिम रिपोर्ट जारी होने तक यह संख्या ढंग से घटकर 35 स्कूल रह गई है;

2. क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य के लिए मॉडल जिला बनाए गए बक्सर में 79 जांच अधिकारियों द्वारा कराई गई 705 विद्यालयों की जांच में बड़े पैमाने पर वित्तीय हेराफेरी एवं घटिया आपूर्ति पकड़ी गई थी तथा इस आधिकारिक जांच रिपोर्ट में दर्ज गड़बड़ियों और दोषी आपूर्तिकर्ताओं को बचाने के उद्देश्य से विभाग की फाइलों तथा डेटाबेस में प्रशासनिक स्तर पर हेरफेर की गई है;

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं ,तो क्या सरकार इस वित्तीय घोटाले एवं साक्ष्यों के हेरफेर के लिए जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई तथा इस पूरे प्रकरण की स्वतंत्र एजेंसी जैसे निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने का विचार रखती है; यदि हाँ, तो कब तक,नहीं तो क्यों?

भवदीय
आनन्द मिश्र (200)(200)
सदस्य
07/07/2026 01:36 AM

	श्री आनंद मिश्रा (200) (बक्सर) माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या– 18/3/320	श्री मिथिलेश तिवारी, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार।
	प्रश्न	**उत्तर**
(क)	क्या यह बात सही है कि राज्य के विद्यालयों में बेंच–डेस्क आपूर्ति हेतु आवंटित ₹885 करोड़ के खरीद घोटाले की प्रारंभिक विभागीय जांच रिर्पोट में 340 स्कूलों को दोषी चिन्हित किया गया था, परंतु अंतिम रिर्पोट जारी होने तक यह सख्या घटकर 35 रह गई है;	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के सभी विद्यालयों में विभागीय मानकों के अनुरूप सामग्री का क्रय, निर्माण एवं अधिष्ठापन किये जाने का निदेश निर्गत है। उपलब्ध कराये गये सामग्री एवं निर्माण कार्यो की जाँच हेतु विभाग द्वारा प्रत्येक जिले के लिए नामित पदाधिकारी द्वारा सतत अनुश्रवण किया जाता है। संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी को भी अनुश्रवण की जिम्मेदारी दी गयी है। जहाँ घटिया सामग्री आदि की आपूर्त्ति आदि का मामला प्रकाश में आता है तो त्वरित कार्रवाई की जाती है। उक्त अनियमितता के आलोक में तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, किशनगंज एवं दरभंगा को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के अधीन किया गया था।
(ख)	क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य के लिए मॉडल जिला बनाए गए बक्सर में 79 जांच अधिकारियों द्वारा कराई गई 705 विद्यालयों की जांच में बड़े पैमाने पर वित्तीय हेराफेरी एवं घटिया आपूर्ति पकड़ी गई थी तथा इस आधिकारिक जांच रिर्पोट में दर्ज गड़बड़ियों और दोषी आपूर्तिकर्ताओं को बचाने के उद्देश्य से विभाग की फाईलों तथा डेटाबेस में प्रशासनिक स्तर पर हेराफेरी की गई है;	वस्तुस्थिति यह है कि श्री शिव प्रकाश राय ग्राम–गली नं0–02, धोबीघाट, चरित्रवन, बक्सर जिला बक्सर द्वारा दायर परिवाद की अनन्य संख्या– 99995010 1042513011/2। में राज्य के विद्यालयों में बेंच–डेस्क, बोरिंग, बैग में मानक के विरुद्ध की गई खरीदारी की जाँच कराकर न्यायोचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था। उक्त अपील की सुनवाई के क्रम में विभागीय ज्ञापांक 41682 दिनांक–27.11. 2025 के द्वारा जिला पदाधिकारी, बक्सर को टीम गठित कर जाँच कराने एवं निष्पादन प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी, बक्सर के ज्ञापांक 352 दिनांक 12.12.2025 के द्वारा जिलान्तर्गत पदाधिकारियों/अभियंताओं की टीम गठित
(ग)	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस वित्तीय घोटाले एवं साक्ष्यों के हेरफेर के लिए जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई तथा इस पूरे प्रकरण को स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने का विचार	

आनन्द मिश्र
विधायक, बक्सर, बिहार विधान सभा

	रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	कर जाँच करायी गई। जाँच टीम के द्वारा कुल 697 विद्यालयों का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जाँच प्रतिवेदन में जिलान्तर्गत कुल 35 (पैंतीस) विद्यालयों में बेंच डेस्क बोरिंग एवं बैग की करायी गई आपूर्ति की गुणवत्ता एवं मानकों को जाँच पदाधिकारी के मंतव्य के अनुसार असंतोषजनक पाया गया तत्पश्चात जिला पदाधिकारी बक्सर के ज्ञापांक 344 दिनांक 19.05.2026 के द्वारा असंतोषजनक स्थिति वाले विद्यालयों का विवरण अंकित करते हुए उक्त विद्यालयों में आपूर्तिकर्ता भेन्डर एवं सम्बंधित संवेदक को Repair / Replace करने का आदेश दिया गया है।

ह0/- 20.7.26

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11 / वि०स० 01–209 / 2026 1439 पटना, दिनांक 20-7-2026

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, बिहार विधान सभा, सचिवालय, बिहार, पटना / प्रशाखा–01, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 20.7.26

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

3. ग्रामीण सड़कों की सुरक्षा

डायरी संख्या:	**18/3/572**
तिथि:	**08/07/2026**
पावती समय:	**10:00 AM**

अल्प सूचित प्रश्न

विषय :-	ग्रामीण पथों पर 'हाइट गेज' व 'वजन सीमा बोर्ड'
मंत्री:-	सुनील कुमार
Department:-	ग्रामीण कार्य
प्रश्नोत्तर दिनांक स्वीकृत अवस्था में:-	
प्राथमिकता, यदि कोई हो:-	0

प्रेषक:
आनन्द मिश्र (200)(200) , सदस्य

सेवा में:
प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा
पटना

महोदय,

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 78 के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित अल्पसूचित प्रश्न की सूचना देता हूँ / देती हूँ
क्या ग्रामीण कार्य विभाग :

दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर के आलोक में क्या मंत्री ,ग्रामीण कार्य विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि:

1. क्या यह बात सही है कि राज्य की ग्रामीण सड़कें हल्के और मध्यम वाहनों के भार मानक पर बनती हैं, परंतु NH का टोल टैक्स बचाने के लिए भारी व्यावसायिक ट्रकों एवं डंपरों द्वारा इन ग्रामीण पथों को शॉर्टकट बनाकर धड़ल्ले से परिचालन किया जा रहा है;

2. क्या यह बात सही है कि ग्रामीण सड़कों को समय से पहले ध्वस्त होने से बचाने के लिए सारण, रोहतास और मुंगेर जैसे जिलों के जिला प्रशासनों ने अपने स्तर पर Height Gauges लगाने और भारी वाहनों को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन राज्य स्तर पर विभागीय समन्वय की कमी के कारण यह व्यवस्था पूरे राज्य में एकसमान लागू नहीं है;

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिला प्रशासनों के भरोसे रहने के बजाय, IRC मानकों के अनुसार सभी ग्रामीण पथों पर 'हाइट गेज' व 'वजन सीमा बोर्ड' लगाने हेतु एक राज्य-स्तरीय SOP बनाकर इसे तत्काल लागू करने का विचार रखती है? ? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं, तो क्यों ?

भवदीय
आनन्द मिश्र (200)(200)
सदस्य
08/07/2026 10:00 AM

आनन्द मिश्र
विधायक, बक्सर, बिहार विधान सभा

दिनांकः–.................................
क्रमांक संख्याः–........................

बिहार विधान सभा
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना
अल्पसूचित प्रश्न नेवा डायरी संख्या–18/03/572

	श्री आनंद मिश्र, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न नेवा डायरी संख्या–18/03/572	श्री सुनील कुमार, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।
	प्रश्न	उत्तर
(1)	क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य की ग्रामीण सड़कें हल्के और मध्यम वाहनों के भार मानक पर बनती हैं परन्तु NH का टोल टैक्स बचाने के लिए भारी व्यावसायिक ट्रकों एवं डंपरों द्वार इन ग्रामीण पथों पर परिचालन किया जा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक
(2)	क्या यह बात सही है कि ग्रामीण सड़कों को बचाने के लिए सारण, रोहतास और मुंगेर जैसे जिला प्रशासनों ने Height Gauges लगाने और भारी वाहनों को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन यह व्यवस्था पूरे राज्य में एकसमान लागू नहीं है;	आंशिक स्वीकारात्मक
(3)	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार IRC मानकों के अनुसार सभी ग्रामीण पथों पर 'हाइट गेज' व 'वजन सीमा बोर्ड' लगाने हेतु राज्य –स्तरीय SOP बनाकर	ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत सड़कों/पुलों पर निर्धारित भार क्षमता से अधिक भारी वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने हेतु Height Restriction Barrier (Portal Barrier) स्थापित करने के संबंध में विभाग द्वारा पहल की जा रही है।

Manish

आनन्द मिश्र
विधायक, बक्सर, बिहार विधान सभा

	लागू करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस परिपेक्ष्य में सभी कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय पत्रांक – 627 अनु0, दिनांक 11.06.2026 के द्वारा निदेश दिया गया है। साथ ही सभी जिला पदाधिकारी को अर्द्धसरकारी पंत्र भेजा गया है, जिसमें शक्ति से Height Restriction Barrier (Portal Barrier) चिन्हित स्थानों पर लगाने हेतु निदेशित किया गया है। संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत सड़कों/पुलों पर निर्धारित भार क्षमता से अधिक भारी वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने हेतु पथों एवं पुलों को चिन्हित कर Height Restriction Barrier (Portal Barrier) स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है।

4. सामुदायिक भवनों की सुरक्षा

डायरी संख्या:	**18/3/574**
तिथि:	**08/07/2026**
पावती समय:	**10:00 AM**

अल्प सूचित प्रश्न

विषय :-	सामुदायिक भवन पर स्थानीय दबंगों द्वारा अवैध कब्जा
मंत्री:-	दीपक प्रकाश
Department:-	पंचायती राज
प्रश्नोत्तर दिनांक स्वीकृत अवस्था में:-	
प्राथमिकता, यदि कोई हो:-	0

प्रेषक:

आनन्द मिश्र (200)(200) , सदस्य

सेवा में:

प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा
पटना

महोदय,

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 78 के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित अल्पसूचित प्रश्न की सूचना देता हूँ / देती हूँ

क्या पंचायती राज विभाग :

दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर के आलोक में ,क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि:

1. क्या यह बात सही है कि राज्य में निर्मित सामुदायिक भवन देखरेख के अभाव में खंडहर और मवेशी बांधने के तबेले में तब्दील हो रहे हैं अथवा स्थानीय दबंगों द्वारा इन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है,

2. क्या यह भी सही है कि भू-माफियाओं द्वारा इन सामुदायिक भवनों की सरकारी जमीनों की फर्जी तरीके से खरीद-बिक्री और नामांतरण तक किया जा रहा है ;

3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी जिलों में अवस्थित सामुदायिक भवनों के भौतिक सत्यापन के लिए एक 'राज्य-स्तरीय विशेष टास्क फोर्स' का गठन करते हुए दोषी पंचायत प्रतिनिधियों व अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध विभागीय दंडात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?

भवदीय
आनन्द मिश्र (200)(200)
सदस्य
08/07/2026 10:00 AM

यह कागज कंप्यूटर द्वारा सृजित है जिसपे हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

श्री आनन्द मिश्रा, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–18/3/574 (Neva Online) का विभागीय उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	उत्तर श्री दीपक प्रकाश, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में निर्मित सामुदायिक भवन खंडहर और मवेशी बांधने के तबेले में तब्दील हो रही हैं अथवा दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है;	**अस्वीकारात्मक।** राज्य में सामुदायिक भवनों का निर्माण मुख्यत: योजना एवं विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। जिस सामुदायिक भवन का हस्तांतरण ग्राम पंचायत को किया गया है उसका रख–रखाव एवं अनुरक्षण ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत को हस्तांतरित सामुदायिक भवन के अवैध कब्जा होने की सूचना प्राप्त होने पर नियमानुसार मुक्त कराने की कार्रवाई की जाती है।
(2) क्या यह सही है कि भू–माफियाओं द्वारा इन सामुदायिक भवनों की सरकारी जमीनों की फर्जी खरीद–बिक्री और नामांतरण किया जा रहा है;	**अस्वीकारात्मक।**
(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी जिलों में अवस्थित सामुदायिक भवनों के भौतिक सत्यापन के लिए एक 'राज्य–स्तरीय विशेष टास्क फोर्स' का गठन करते हुए दोषी पंचायत प्रतिनिधियों व अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध विभागीय दंडात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है; हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

5. पेयजल एवं जल संरक्षण

डायरी संख्या: 18/3/841
तिथि: 09/07/2026
पावती समय: 12:53 AM

अल्प सूचित प्रश्न	
विषय :-	पेयजल सुनिश्चित करने तथा जल संचयन
मंत्री:-	संजय कुमार सिंह (126)
Department:-	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
प्रश्नोत्तर दिनांक स्वीकृत अवस्था में:-	23/07/2026
प्राथमिकता, यदि कोई हो:-	0

प्रेषक:
आनन्द मिश्र (200)(200) , सदस्य

सेवा में:
प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा
पटना

महोदय,

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 78 के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित अल्पसूचित प्रश्न की सूचना देता हूँ / देती हूँ
क्या लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग :

दैनिक समाचार पत्र में प्रकशित खबर के आलोक में ,क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

1. क्या यह बात सही है कि बक्सर के सभी प्रखंडों में भू-जल स्तर दो महीनों में 1.5 मीटर गिरने से चापाकल सूख गए हैं, 'नल-जल योजना' अनियमित है तथा धान के बिचड़े व खरीफ फसलों की सिंचाई पर संकट मंडरा रहा है;
2. क्या यह भी सही है कि जिले में भू-जल रिचार्ज योजनाएं कागजों तक सीमित हैं तथा पारंपरिक तालाब, आहर और पोखरों का जीर्णोद्धार न होने से जल संकट लगातार भयावह होता जा रहा है;
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर सकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पेयजल सुनिश्चित करने, तथा 'जल संचयन और भू-जल रिचार्ज' अभियान चलाने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?

भवदीय
आनन्द मिश्र (200)(200)
सदस्य
09/07/2026 12:53 AM

यह कागज कंप्यूटर द्वारा सृजित है जिसपे हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है

6. बिहार की चाय को GI टैग

डायरी संख्या: **18/3/842**
तिथि: **09/07/2026**
पावती समय: **12:54 AM**

अल्प सूचित प्रश्न

विषय :-	जी.आई. टैग
मंत्री:-	विजय कुमार सिन्हा (168)
Department:-	कृषि
प्रश्नोत्तर दिनांक स्वीकृत अवस्था में:-	23/07/2026
प्राथमिकता, यदि कोई हो:-	0

प्रेषक:
आनन्द मिश्र (200)(200) , सदस्य

सेवा में:
प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा
पटना

महोदय,

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 78 के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित अल्पसूचित प्रश्न की सूचना देता हूँ / देती हूँ
क्या कृषि विभाग :

दैनिक समाचार पत्र में प्रकशित खबर के आलोक में, क्या मंत्री, कृषि विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

1. क्या यह बात सही है कि किशनगंज और पूर्णिया सहित पूरे सीमांचल क्षेत्र में चाय की खेती का तेजी से विस्तार हो रहा है तथा हाल ही में पूर्णिया के बैसा में भी 3.5 क्विंटल चायपत्ती का सफल उत्पादन हुआ है;
2. क्या यह भी सही है कि स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग यूनिट और उचित बाजार न होने से किसानों को पत्तियां सस्ते में बेचने या बंगाल भेजने पर मजबूर होना पड़ता है तथा बिहार की चाय को विशिष्ट पहचान दिलाने हेतु अब तक GI Tag की दिशा में कार्रवाई नहीं हुई है;
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर सकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में 'बिहार चाय बोर्ड' का गठन करने तथा इस चाय को 'जी.आई. टैग' दिलाने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?

भवदीय
आनन्द मिश्र (200)(200)
सदस्य
09/07/2026 12:54 AM

यह कागज कंप्यूटर द्वारा सृजित है जिसपे हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है

अष्टादश बिहार विधान सभा के तृतीय सत्र में श्री आनंद मिश्रा, माननीय सदस्य विधान सभा के अल्पसूचित प्रश्न डायरी संख्या–18/03/842 का उत्तर सामग्री।

क्र० सं०	**श्री आनंद मिश्रा,** माननीय सदस्य विधान सभा	**श्री विजय कुमार सिन्हा,** माननीय कृषि मंत्री, बिहार
1.	क्या यह बात सही है कि किशनगंज और पूर्णियाँ सहित पूरे सीमांचल क्षेत्र में चाय की खेती का तेजी से विस्तार हो रहा है तथा हाल ही में पूर्णियाँ के बैसा में भी 3.5 क्विंटल चायपत्ती का सफल उत्पादन हुआ है;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग यूनिट और उचित बाजार न होने से किसानों को पत्तियाँ सस्ते दाम में बेचने या बंगाल भेजने पर मजबूर होना पड़ता है तथा बिहार की चाय को विशिष्ट पहचान दिलाने हेतु अब तक जी०आई०टैग० दिलाने की दिशा में कार्रवाई नहीं हुई है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। बिहार में वर्तमान में 12 प्रोसेसिंग इकाईयाँ सफलतापूर्वक संचालन कर रही है एवं राज्य सरकार द्वारा पूँजीगत अनुदान के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में 'बिहार चाय बोर्ड' का गठन करने तथा इस चाय को 'जी०आई०टैग०' दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	ज्ञातव्य हो कि, चाय की खेती मुख्यतः किशनगंज जिला में की जाती है। साथ हीं इसके विस्तार हेतु अन्य सीमावर्ती जिले जैसे–पूर्णियाँ, सुपौल, कटिहार एवं अररिया जहाँ कृषि–जलवायु चाय की खेती हेतु अनुकूल है, वहाँ किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विदित हो कि, उक्त जिले, परम्परागत रूप से चाय उत्पादक जिला नहीं रहे हैं। बिहार सरकार द्वारा 'Tea Board of India', जो 'चाय क्षेत्र' के विकास हेतु, एकल राष्ट्रीय संस्था है, के माध्यम से, बिहार के किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति, सार्वजनिक निलामी में सहभागिता एवं अन्य सहयोग उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा नियमित प्रयास किए जा रहे हैं। 'Tea Board of India' में बिहार के प्रतिनिधित्व हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है, जो विचारधीन है। विगत् 4–5 वर्षो में चाय की खेती में व्यापक बढ़ोत्तरी से 'बिहार चाय' एक ब्रांड बनकर उभरा है एवं इसे वैश्विक पहचान दिलाने हेतु समग्र प्रयास किए जा रहे हैं। जी०आई० टैग प्राप्त करने हेतु स्थानीय कृषक समुदाय द्वारा आवेदन किया जाता है। बिहार सरकार कृषकों को इस हेतु प्रोत्साहित कर रही है।

बिहार सरकार
कृषि विभाग

ज्ञापांक–25/उ0नि0–45/26 4885 /कृ0, पटना, दिनांक– 21/7/2026

प्रतिलिपि– अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय को श्री आनंद मिश्रा, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–18/3/842 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajesh Raushan
21.07.2026

(राजेश रौशन)
सरकार के अवर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 4885 /कृ0, पटना, दिनांक– 21/7/ 2026

प्रतिलिपि–अवर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajesh Raushan
21.07.2026

सरकार के अवर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 4885 /कृ0, पटना, दिनांक– 21/7/ 2026

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–04, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Rajesh Raushan
21.07.2026

सरकार के अवर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

7. हर अस्पताल में कैंसर उपचार

डायरी संख्या:	**18/3/1164**
तिथि:	**14/07/2026**
पावती समय:	**03:42 PM**

अल्प सूचित प्रश्न

विषय :-	जिला अस्पतालों में कीमोथेरेपी/कैंसर डे-केयर
मंत्री:-	निशांत
Department:-	स्वास्थ्य
प्रश्नोत्तर दिनांक स्वीकृत अवस्था में:-	24/07/2026
प्राथमिकता, यदि कोई हो:-	0

प्रेषक:

आनन्द मिश्र (200)(200) , सदस्य

सेवा में:

प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा
पटना

महोदय,

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 78 के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित अल्पसूचित प्रश्न की सूचना देता हूँ / देती हूँ
क्या स्वास्थ्य विभाग :

दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के आलोक में ,क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

1. क्या यह बात सही है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की हालिया 'ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन कैंसर' के अनुसार आगामी वर्षों में कैंसर के मामलों में तीव्र वृद्धि की चेतावनी दी गई है, जिससे राज्य की एक बड़ी आबादी सीधे तौर पर प्रभावित होने की आशंका है?
2. क्या यह भी सही है कि राज्य के ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में कैंसर की शुरुआती पहचान (Early Detection) के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडल अस्पतालों में मैमोग्राफी, पैप स्मीयर और अन्य बुनियादी स्क्रीनिंग सुविधाओं का भारी अभाव है, जिसके कारण मरीज अंतिम चरणों (Last Stages) में अस्पताल पहुँच रहे हैं?
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर सकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में कैंसर से होने वाली मौतों को रोकने हेतु जिला अस्पतालों में कीमोथेरेपी/कैंसर डे-केयर सेंटरों के संचालन तथा विशेषज्ञ डॉक्टरों (Oncologists) की कमी को दूर करने के लिए कोई कार्ययोजना लागू कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?

भवदीय
आनन्द मिश्र (200)(200)
सदस्य
14/07/2026 03:42 PM

यह कागज कंप्यूटर द्वारा सृजित है जिसपे हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है

श्री आंनन्द मिश्रा (200) (**Buxar**) माननीय स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न सं0–18/3/1164 का उत्तर।

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
खंड	श्री आनन्द मिश्रा माननीय स0वि0स0	श्री निशान्त, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग।
	स्थानीय् दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के शीर्षक Cancer Will touch nearly every family warns WHO के आलोक, क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1	क्या यह बात सही है कि WHO की हालिया 'ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन कैंसर, के अनुसार आगामी वर्षो में कैंसर के मामलों में तीव्र वृद्धि की चेतावनी दी गई है,	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में कैंसर मरीजों के समुचित ईलाज हेतु सरकार द्वारा चिकित्सीय व्यवस्था को निरन्तर सुदृढ़ किया जा रहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं0–687 (12), दिनांक–23.05.2025 के द्वारा बिहार कैंसर केयर एवं रिसर्च सोसाईटी का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में कैंसर रोग की रोकथाम, समुचित ईलाज, दीर्घकालिक प्रबंधन एवं कैंसर चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में कैंसर की शुरूआती पहचान के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अनुमंडल अस्तपालों में मेमोग्राफी, पैप स्मीयर और अन्य बुनियादी स्क्रीनिंग सुविधाओं का भारी अभाव है, जिसके कारण मरीज अंतिम चरणों मं अस्पताल पहुँच रहे हैं;	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के सभी जिलों में कैंसर (मुख, स्तन एवं सरविक्स) की स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्तर तक कैंसर स्क्रीनिंग का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है। जिला अस्पतालों में पैप स्मीयर बायोप्सी एवं गर्भाशय कैंसर की जाँच हेतु कॉल्पोस्कोपी मशीन तथा किमोथेरेपी की सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर सकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में कैंसर से होने वाली मौतों को रोकने हेतु जिला अस्पतालों में कीमोथेरेपी/कैंसर डे–केयर सेंटरों के संचालन तथा Oncologists की कमी को दूर करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी प्रमण्डलों में एक कॉम्प्रिहेन्सिव कैंसर केयर सेंटर स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। सरकार द्वारा कैंसर स्क्रीनिंग, डे–केयर कैंसर सेंटर, पॉलिएटिव केयर, बायोप्सी तथा कीमोथेरेपी की सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क परामर्श, जांच तथा कैंसर की दवाईयां उपलब्ध करायी जा रही हैं। साथ ही, प्रारम्भिक स्तर पर कैंसर की पहचान एवं उपचार को सुदृढ़ करने हेतु नियमित स्क्रीनिंग कैंप

आनन्द मिश्र
विधायक, बक्सर, बिहार विधान सभा

		का आयोजन भी किया जा रहा है। राज्य में कैंसर रोग के स्क्रीनिंग एवं कीमोथेरेपी की सुविधाएं आम जनमानस को सुलभ कराने के उद्देश्य से वर्ष 2022 में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर के सहयोग से राज्य के 17 जिलों के जिला अस्पताल में डे–केयर कैंसर केन्द्र का संचालन किया जा रहा है, जहाँ कीमोथेरेपी, बायोप्सी, पैप स्मीयर, गर्भाशय कैंसर की जाँच हेतु कॉल्पोस्कोपी मशीन की सुविधाएँ उपलब्ध करायी गई है। शेष 21 जिलों में भी डे–केयर कैंसर केन्द्र संचालन की स्वीकृति प्राप्त है। इसके लिए मानव संसाधन का प्रशिक्षण चल रहा है। अगले 2–3 महीनों में इन जिलों में भी डे–केयर कैंसर केन्द्र क्रियाशील हो जायेंगे।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः–12/प0–क्यू–04–144/2026 1228(12) /पटना, दिनांकः– 23/7/2026

प्रतिलिपिः–उप सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के पत्रांक–...... (5) दिनांक– के क्रम मे (पाँच अतिरिक्त प्रतियों सहित)/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना (दो प्रति में)/प्रशाखा पदाधिकारी–13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/07/2026
(कृष्णा उराँव)
सरकार के उप सचिव।

8. सूखते खेत, बढ़ता संकट

डायरी संख्या:	**18/3/1165**
तिथि:	**14/07/2026**
पावती समय:	**03:43 PM**

अल्प सूचित प्रश्न

विषय :-	जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करना
मंत्री:-	रत्नेश सादा
Department:-	आपदा प्रबंधन
प्रश्नोत्तर दिनांक स्वीकृत अवस्था में:-	24/07/2026
प्राथमिकता, यदि कोई हो:-	0

प्रेषक:

आनन्द मिश्र (200)(200) , सदस्य

सेवा में:

प्रभारी सचिव

बिहार विधान सभा

पटना

महोदय,

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 78 के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित अल्पसूचित प्रश्न की सूचना देता हूँ / देती हूँ
क्या आपदा प्रबंधन विभाग :

दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के आलोक में ,क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

1. क्या यह बात सही है कि राज्य में मानसून की बेरुखी के कारण पूरे बिहार में औसत से 52% कम बारिश दर्ज की गई है? स्थिति इतनी भयावह है कि गया में 81%, पटना में 80%, भागलपुर में 71% और भोजपुर में 72% तक कम वर्षा हुई है? इस कारण राज्य के 20 जिलों में अब तक धान की रोपनी की शुरुआत भी नहीं हो सकी है और पूरे प्रदेश में मात्र 4% ही रोपनी संभव हो पाई है? मौसम विभाग के अनुसार 27 जिलों में स्थिति अत्यंत चिंताजनक है? इससे किसानों के सामने भुखमरी और आर्थिक संकट का खतरा पैदा हो गया है;
2. यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर सकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रभावित जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए किसानों को डीजल एवं बिजली अनुदान का वितरण तथा वैकल्पिक फसल योजना को युद्ध स्तर पर लागू करने का विचार रखती है?यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?

भवदीय
आनन्द मिश्र (200)(200)
सदस्य
14/07/2026 03:43 PM

यह कागज कंप्यूटर द्वारा सृजित है जिसपे हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है

आनन्द मिश्र
विधायक, बक्सर, बिहार विधान सभा

बिहार विधान सभा सचिवालय से प्राप्त तारांकित प्रश्न

श्री आनंद मिश्रा, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न डायरी संख्या- 18/3/1165 क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	**माननीय मंत्री,** आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना।
प्रश्न	**उत्तर**
1.क्या यह बात सही है कि राज्य में मानसून की बेरुखी के कारण पूरे बिहार में औसत से 52% कम बारिश दर्ज की गई है, जैसे गया में 81%, पटना में 80%, भागलपुर में 71% और भोजपुर में 72% तक कम वर्षा हुई है, इस कारण राज्य के 20 जिलों में अब तक धान की रोपनी की शुरुआत भी नहीं हो सकी है, इससे किसानों के सामने भुखमरी और आर्थिक संकट का खतरा पैदा हो गया है;	अस्वीकारात्मक। भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त आँकड़े के अनुसार दिनांक-01.06.2026 से 20.07.2026 तक पूरे बिहार में औसत से 34%, कम बारिश दर्ज की गई है। गया में 53%, पटना में 37%, भागलपुर में 42% और भोजपुर में 48% कम वर्षा हुई है। दिनांक-20.07.2026 तक धान की रोपनी लक्ष्य का 40.52% है। गत वर्ष इस अवधि में लक्ष्य का 32.89% ही रोपनी हुआ था।
2. यदि उपर्युक्त खंड के उत्तर सकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रभावित जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए किसानों को डीजल एवं बिजली अनुदान का वितरण तथा वैकल्पिक फसल योजना को युद्ध स्तर पर लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	यदि किसी परिस्थिति में अगर कम वर्षा होती है, तो कृषि विभाग द्वारा सर्वेक्षण कराया जाता है। सर्वेक्षण में अगर सूखे जैसी स्थिति होती है, तो सूखाड़ प्रबंधन मैनुअल के नियमानुसार प्रभावितों को आपदा राहत एवं प्रभावित किसानों के खाते में डी०बी०टी० के माध्यम से कृषि इनपुट अनुदान की राशि हस्तान्तरित किया जाता है।

9. गृह प्रमंडल में परीक्षा केंद्र

संख्या: **18/3/56**
सूचना प्राप्ति दिनांक: **20/07/2026**
पावती समय: **09:26 AM**

ध्यानाकर्षण

विषय :-	राज्य में भविष्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को उनके गृह प्रमंडल या अधिकतम 100 किमी के दायरे में ही केंद्र आवंटित करने की नीति लागू करने के संबंध में।
मंत्री:-	सम्राट चौधरी (164)
Department:-	सामान्य प्रशासन
प्रश्नोत्तर दिनांक स्वीकृत अवस्था में:-	
प्राथमिकता, यदि कोई हो:-	

प्रेषक:

Shri. ANAND MISHRA (200)(200) , सदस्य

सेवा में:

प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा
पटना

महोदय,
बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम- 104 (3) के तहत अत्यंत लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना देता / देती हूँ ।

राज्य में होने वाली बड़ी परीक्षाओं के दौरान रेलवे स्टेशनों और परिवहन व्यवस्था में कुप्रबंधन देखने को मिलता है। महीनों पहले तारीखें घोषित होने के बावजूद परिवहन विभाग और रेलवे प्रशासन में समन्वय की कमी दिखती है। छात्रों को उनके घरों से 300-400 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र दिए जाते हैं, जिससे वे मानसिक और शारीरिक रूप से टूट जाते हैं। ट्रेनों के फर्श पर और भूखे-प्यासे रात गुजारकर कोई छात्र अपनी परीक्षा में शत-प्रतिशत प्रदर्शन नहीं कर सकता। यह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है| जून 2026 में बिहार पुलिस मद्यनिषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान पाटलिपुत्र स्टेशन पर हुई तोड़फोड़ और पुलिस फायरिंग इसी प्रशासनिक विफलता का परिणाम है। इस समस्या के समाधान हेतु भविष्य की परीक्षाओं में केंद्र आवंटन को परीक्षार्थी के गृह प्रमंडल या 100 किमी के दायरे तक ही सीमित करने की नीति लागू की जाए। इससे छात्र मानसिक तनाव, परीक्षा छूटने के डर और भारी आर्थिक बोझ से मुक्त होंगे। साथ ही, यह नीति राज्य की परिवहन व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को राहत देगी जिससे स्टेशनों पर होने वाली अप्रत्याशित भीड़ स्वतः समाप्त हो जाएगी। अतः, मैं सदन के माध्यम से छात्रहित में इस विषय पर नीति निर्माण हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।

भवदीय
आनन्द मिश्र (200)(200)
सदस्य
20/07/2026 09:26 AM

यह कागज कंप्यूटर द्वारा सृजित है जिसपे हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है .

आनन्द मिश्र
विधायक, बक्सर, बिहार विधान सभा

10. मैट्रिक में अंग्रेज़ी की अनिवार्यता

संख्या:	**18/3/366**
सूचना प्राप्ति दिनांक:	**22/07/2026**
पावती समय:	**09:23 AM**

ध्यानाकर्षण

विषय :-	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी विषय को अनिवार्य उत्तीर्णता श्रेणी से बाहर होने के कारण छात्रों के भविष्य पर मंडराते संकट के संबंध में।
मंत्री:-	मिथिलेश तिवारी (99)
Department:-	शिक्षा
प्रश्नोत्तर दिनांक स्वीकृत अवस्था में:-	
प्राथमिकता, यदि कोई हो:-	

प्रेषक:

Shri. ANAND MISHRA (200)(200) , सदस्य

सेवा में:

प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा
पटना

महोदय,

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम- 104 (3) के तहत अत्यंत लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना देता / देती हूँ ।

राज्य सरकार द्वारा नवंबर 2001 में कक्षा-3 और दिसंबर 2005 में कक्षा-1 से अंग्रेजी लागू करने के बावजूद मैट्रिक परीक्षा में इसे 'गैर-अनिवार्य' उत्तीर्णता श्रेणी में रखा गया है। इसके अंक मूल प्राप्तांक में नहीं जोड़े जाते। इस दोषपूर्ण नीति के कारण सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षण की घोर उपेक्षा होती है और छात्रों की बुनियादी नींव कमजोर रह जाती है। जो छात्र इंटरमीडिएट में अंग्रेजी पास भी करते हैं, वे स्कूलों के बजाय महंगे निजी कोचिंग संस्थानों के भरोसे रहते हैं। बुनियादी समझ के अभाव में छात्र मौलिक भाषा के स्थान पर केवल हिंदी अनुवाद पर निर्भर हो जाते हैं, जिससे उनकी समझ का दायरा संकुचित हो जाता है। इसका सबसे घातक परिणाम उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में दिखता है। भाषाई भय के कारण छात्र स्नातक तथा संघ लोक सेवा आयोग जैसी परीक्षाओं में अपनी रुचि या योग्यता के बजाय केवल यह देखकर विषयों का चयन करते हैं कि उसकी पुस्तक हिंदी में उपलब्ध है या नहीं। विज्ञान, कॉमर्स या अकाउंटिंग जैसे व्यावहारिक विषयों से दूरी उन्हें व्यावसायिक जीवन की दौड़ में पीछे धकेल देती है। यह अप्रासंगिक नीति युवाओं के रोजगार और भविष्य को अंधकारमय कर रही है।

भवदीय
आनन्द मिश्र (200)(200)
सदस्य
22/07/2026 09:23 AM

यह कागज कंप्यूटर द्वारा सृजित है जिसपे हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है .

आनन्द मिश्र
विधायक, 200-बक्सर,
सदस्य, प्राक्कलन समिति,
बिहार विधान सभा

बिहार सरकार

Anand Mishra
MLA, 200-Buxar,
Member, Estimates Committee,
Bihar Legislative Assembly

No. MLA/200/AMO/2026-216

Date 22/07/2026

ध्यानकर्षण की सूचना

सेवा में,
सचिव,
बिहार विधानसभा, पटना।

विषय:बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी विषय को अनिवार्य उत्तीर्णता श्रेणी से बाहर होने के कारण छात्रों के भविष्य पर मंडराते संकट के संबंध में।।

महोदया,

मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-104 के तहत लोक महत्व के निम्नलिखित विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ:

राज्य सरकार द्वारा नवंबर 2001 में कक्षा-3 और दिसंबर 2005 में कक्षा-1 से अंग्रेजी लागू करने के बावजूद मैट्रिक परीक्षा में इसे 'गैर-अनिवार्य' उत्तीर्णता श्रेणी में रखा गया है। इसके अंक मूल प्राप्तांक में नहीं जोड़े जाते। इस दोषपूर्ण नीति के कारण सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षण की घोर उपेक्षा होती है और छात्रों की बुनियादी नींव कमजोर रह जाती है।

जो छात्र इंटरमीडिएट में अंग्रेजी पास भी करते हैं, वे स्कूलों के बजाय महंगे निजी कोचिंग संस्थानों के भरोसे रहते हैं। बुनियादी समझ के अभाव में छात्र मौलिक भाषा के स्थान पर केवल हिंदी अनुवाद पर निर्भर हो जाते हैं, जिससे उनकी समझ का दायरा संकुचित हो जाता है।

इसका सबसे घातक परिणाम उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में दिखता है। भाषाई भय के कारण छात्र स्नातक तथा संघ लोक सेवा आयोग जैसी परीक्षाओं में अपनी रुचि या योग्यता के बजाय केवल यह देखकर विषयों का चयन करते हैं कि उसकी पुस्तक हिंदी में उपलब्ध है या नहीं। विज्ञान, कॉमर्स या अकाउंटिंग जैसे व्यावहारिक विषयों से दूरी उन्हें व्यावसायिक जीवन की दौड़ में पीछे धकेल देती है। यह अप्रासंगिक नीति युवाओं के रोजगार और भविष्य को अंधकारमय कर रही है।

अतः सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इस विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।

196, TARARI

198, SHAHPUR

Rajesh ... Dehri 212

सौरभ कुमार पांडेय
03 - नरकटियागंज

भरत बिन्द
205 भभुआ

भवदीय

आनन्द मिश्र
सदस्य,बिहार विधान सभा
बक्सर (200)

15/18, 200-बक्सर, विधायक आवासीय परिसर,
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना, बिहार - 800001
15/18, 200-Buxar, MLA Residential Campus,
Veerchand Patel Marg, Patna, Bihar - 800001

कमल सेवा केंद्र, 154 गोलम्बर-जासो रोड
बक्सर, बिहार-802101
Kamal Seva Kendra, 154-Golambar-
Jaso Road, Buxar, Bihar-802101

+91 9862201500 / 95996-82100
mla.buxar@anandmishra.org
www.anandmishra.org

11. रेलवे ओवरब्रिज एवं क्रॉसिंग की समस्या

संख्या:	**18/3/76**
सूचना प्राप्ति दिनांक:	**21/07/2026**
पावती समय:	**08:00 AM**

शून्यकाल

विषय :-	नवनिर्मित ओवरब्रिज
मंत्री:-	कुमार शैलेन्द्र (152)
Department:-	पथ निर्माण
पृश्नोत्तर दिनांक स्वीकृत अवस्था में:-	
प्राथमिकता, यदि कोई हो:-	

प्रेषक:

Shri. ANAND MISHRA (200)(200) , सदस्य

सेवा में:

प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा
पटना

महोदय,

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 23 (क) के अंतर्गत अत्यंत लोक महत्व के विषय पर शून्यकाल की सूचना देता / देती हूँ ⍰

बक्सर जिलांतर्गत इटाढ़ी में ₹26.40 करोड़ का नवनिर्मित ओवरब्रिज धंसने व रेलवे फाटक बंद होने से जनता त्रस्त है⍰ मैं सरकार से इसकी उच्च-स्तरीय जांच कराने ,दोषी संवेदक तथा निगरानी में विफल रहे अधिकारियों पर कार्रवाई और रेलवे से समन्वय कर वैकल्पिक मार्ग हेतु फाटक खुलवाने की मांग करता हूं⍰

भवदीय
आनन्द मिश्र (200)(200)
सदस्य
21/07/2026 08:00 AM

यह कागज कंप्यूटर द्वारा सृजित है जिसपे हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है .

12. नजदीकी परीक्षा केंद्र की नीति

संख्या: **18/3/235**
सूचना प्राप्ति दिनांक: **22/07/2026**
पावती समय: **08:01 AM**

शून्यकाल

विषय :-	परीक्षा केंद्र गृह प्रमंडल में निर्धारित करने को लेकर नीति निर्माण ।
मंत्री:-	सम्राट चौधरी (164)
Department:-	सामान्य प्रशासन
प्रश्नोत्तर दिनांक स्वीकृत अवस्था में:-	
प्राथमिकता, यदि कोई हो:-	

प्रेषक:

Shri. ANAND MISHRA (200)(200) , सदस्य

सेवा में:

प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा
पटना

महोदय,
बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 23 (क) के अंतर्गत अत्यंत लोक महत्व के विषय पर शून्यकाल की सूचना देता / देती हूँ ।

राज्य में परीक्षाओं के दौरान छात्रों की भारी भीड़, दुर्घटनाओं की आशंका, आर्थिक बोझ एवं मानसिक तनाव को देखते हुए सरकार से मांग करता हूँ कि प्रत्येक परीक्षार्थी का परीक्षा केन्द्र उसके गृह प्रमंडल अथवा अधिकतम 100 किलोमीटर के दायरे में ही निर्धारित किए जाने की नीति बनाई जाये।

भवदीय
आनन्द मिश्र (200)(200)
सदस्य
22/07/2026 08:01 AM

यह कागज कंप्यूटर द्वारा सृजित है जिसपे हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है .

13. मैट्रिक में अंग्रेज़ी की अनिवार्यता

संख्या:	**18/3/433**
सूचना प्राप्ति दिनांक:	**23/07/2026**
पावती समय:	**08:05 AM**

शून्यकाल

विषय :-	मैट्रिक में अंग्रेजी को भी अनिवार्य विषय बनाने की मांग
मंत्री:-	मिथिलेश तिवारी (99)
Department:-	शिक्षा
प्रश्नोत्तर दिनांक स्वीकृत अवस्था में:-	
प्राथमिकता, यदि कोई हो:-	

प्रेषक:

Shri. ANAND MISHRA (200)(200) , सदस्य

सेवा में:

प्रभारी सचिव

बिहार विधान सभा

पटना

महोदय,

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 23 (क) के अंतर्गत अत्यंत लोक महत्व के विषय पर शून्यकाल की सूचना देता / देती हूँ ।

बिहार के सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी लागू होने के बावजूद मैट्रिक में इसमें पास होना जरूरी नहीं है। अंक न जुड़ने से छात्रों की बुनियादी नींव कमजोर हो रही है जिससे उच्च शिक्षा, रोजगार पर उन्हें समझौता करना पड़ता है। अतः मैट्रिक में अंग्रेजी को अनिवार्य बनाने की मांग

भवदीय

आनन्द मिश्र (200)(200)

सदस्य

23/07/2026 08:05 AM

यह कागज कंप्यूटर द्वारा सृजित है जिसपे हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है .

14. रेफरल नीति में सुधार

संख्या: **18/3/588**
सूचना प्राप्ति दिनांक: **24/07/2026**
पावती समय: **08:02 AM**

शून्यकाल

विषय :-	रेफरल नीति
मंत्री:-	निशांत
Department:-	स्वास्थ्य
प्रश्नोत्तर दिनांक स्वीकृत अवस्था में:-	
प्राथमिकता, यदि कोई हो:-	

प्रेषक:
Shri. ANAND MISHRA (200)(200) , सदस्य

सेवा में:
प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा
पटना

महोदय,
बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 23 (क) के अंतर्गत अत्यंत लोक महत्व के विषय पर शून्यकाल की सूचना देता / देती हूँ ।

जिला और अनुमंडल अस्पताल बिना ठोस कारण या बेडकन्फर्म किए मरीजों को पटना रेफर कर रहे हैं और बेडकन्फर्मेशन का काम विधायकगण।अतः सरकार से मांग है कि ऐसी रेफरल नीति बनाई जाए जिसके तहत लिखित कारण और गंतव्य अस्पताल में बेडकन्फर्मेशन के बाद ही मरीजों को रेफर किया जाए।

भवदीय
आनन्द मिश्र (200)(200)
सदस्य
24/07/2026 08:02 AM

यह कागज कंप्यूटर द्वारा सृजित है जिसपे हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है .

15. बक्सर में शीत भंडारण की स्थापना

आनन्द मिश्र
विधायक, 200-बक्सर,
सदस्य, प्राक्कलन समिति,
बिहार विधान सभा

बिहार सरकार

Anand Mishra
MLA, 200-Buxar,
Member, Estimates Committee,
Bihar Legislative Assembly

No. MLA/200/AMO/2026-214

Date 20/07/2026

निवेदन

सचिव
बिहार विधान सभा, पटना।

मैं बिहार विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम -229(घ) के अति लोक महत्व के विषय पर निवेदन की सूचना देता हूँ।

बक्सर जिले में सरकारी कोल्ड स्टोरेज न होने से किसानों को हर साल भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जिले में जो गिने-चुने निजी कोल्ड स्टोरेज हैं, वे बहुत महंगे और छोटे किसानों की पहुँच से बाहर हैं। सही भंडारण की व्यवस्था न होने के कारण किसानों को अपनी फसल सस्ते दामों पर बेचनी पड़ती है।

अतः निवेदन है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत बक्सर के प्रमुख बाजारों में कोल्ड स्टोरेज बनवाए जाएं ताकि क्षेत्र के किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

भवदीय

20/07/2026

आनन्द मिश्र
सदस्य, बिहार विधानसभा
बक्सर (200)

आनन्द मिश्र
विधायक, बक्सर, बिहार विधान सभा

16. गंगा पंप नहर परियोजना

आनन्द मिश्र
विधायक, 200-बक्सर,
सदस्य, प्राक्कलन समिति,
बिहार विधान सभा

बिहार सरकार

Anand Mishra
MLA, 200-Buxar,
Member, Estimates Committee,
Bihar Legislative Assembly

No. MLA/200/AMO/2026-213

Date 21/07/2026

निवेदन

सचिव
बिहार विधान सभा, पटना।

मैं बिहार विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम -229(घ) के अति लोक महत्व के विषय पर निवेदन की सूचना देता हूँ।

बक्सर का पश्चिमी क्षेत्र 'गंगा पंप नहर प्रणाली' से सिंचित और समृद्ध है, जबकि पूर्वी क्षेत्र सोन नहर के अंतिम छोर पर होने के कारण मुख्य फसल सीजन में सूखा रह जाता है। यद्यपि सरकार की मलाई बराज एवं उड्डह योजना यहाँ क्रियान्वित है, परंतु यह परियोजना बरसाती काओ नदी पर आश्रित है जो भीषण गर्मी में स्वयं सूख जाती है।

चूंकि बक्सर में गंगा पंप नहर प्रमंडल का ढांचा पहले से सक्रिय है, इसलिए चक्की या सिमरी के समीप गंगा नदी पर एक नया लिफ्टिंग स्टेशन बनाकर राइजिंग पाइपलाइन अथवा लिंक नहर के माध्यम से पानी को पूर्वी बक्सर की सूखी वितरणियों से जोड़ना तकनीकी रूप से पूरी तरह व्यावहारिक है।

अतः मैं निवेदन करता हूँ कि पश्चिमी बक्सर की तर्ज पर आधुनिक लिफ्ट तकनीक द्वारा गंगा के पानी को पूर्वी बक्सर के नहर तंत्र में डाला जाए।

भवदीय

आनन्द मिश्र
सदस्य, बिहार विधानसभा
बक्सर (200)

17. बक्सर में इलेक्ट्रिक बस सेवा

आनन्द मिश्र
विधायक, 200-बक्सर,
सदस्य, प्राक्कलन समिति,
बिहार विधान सभा

बिहार सरकार

Anand Mishra
MLA, 200-Buxar,
Member, Estimates Committee,
Bihar Legislative Assembly

No. MLA/200/AMO/2026-215 Date 22-07-2026

निवेदन

सचिव
बिहार विधान सभा, पटना।

मैं बिहार विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम -229(घ) के अति लोक महत्व के विषय पर निवेदन की सूचना देता हूँ।

राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने हेतु 400 नई इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने का निर्णय लिया गया है। बक्सर एक प्रमुख ऐतिहासिक व धार्मिक केंद्र होने के बावजूद अब तक आधुनिक इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा से वंचित है, जिससे यात्रियों को असुविधा होती है।

अतः निवेदन है कि नई बसों में से कम से कम 20 इलेक्ट्रिक बसें बक्सर जिला मुख्यालय को आवंटित की जाएं तथा सुचारू परिचालन हेतु बक्सर बस स्टैंड परिसर में एक आधुनिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाए।

भवदीय

आनन्द मिश्र
सदस्य, बिहार विधानसभा
बक्सर (200)

आनन्द मिश्र
विधायक, बक्सर, बिहार विधान सभा

18. अवैध कसाईखानों पर प्रतिबंध

<u>याचिका</u>

सेवा में,

बिहार विधान सभा, पटना।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमवाली के नियम-260 के तहत जनहित में याचिका की सूचना देता हूँ :-

बक्सर नगर परिषद क्षेत्र के खलासी मोहल्ला स्थित बड़ी मस्जिद के समीप घनी आबादी वाले क्षेत्र में खुलेआम अवैध पशु वध एवं मांस विक्रय की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इस अवैध कृत्य के कारण संपूर्ण क्षेत्र में दुर्गंध, अस्वच्छता एवं दूषित अपशिष्ट का फैलाव हो रहा है। इससे संक्रामक बीमारियों के फैलने की भी आशंका बनी हुई है। विदित हो कि बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 345 के तहत राज्य के सभी शहरी एवं नगर निकाय क्षेत्रों में बिना वैध लाइसेंस के तथा खुले स्थानों (सड़कों के किनारे, सार्वजनिक मार्गो) पर मांस एवं मछली के विक्रय को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

अतः याचिका के माध्यम से अनुरोध है कि नियमों के प्रतिकूल एवं बिना लाइसेंस संचालित हो रहे अवैध बूचड़खानों तथा मांस विक्रय स्थलों को तत्काल प्रभाव से सील करते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

<u>प्रतिहस्ताक्षरित</u>

21/01/2026

आनन्द मिश्र,
स०वि०स०
200, बक्सर

याचिकाकर्ता का नाम	हस्ताक्षर
शिवजी खेमका	Shivjee Khemka
लक्ष्मण शर्मा	Laxman Sharma
ज्वाला शैनी	ज्वाला शैनी
रमेश यादव	रमेश यादव
मदन दूबे	मदन दुबे

आनन्द मिश्र
विधायक, बक्सर, बिहार विधान सभा

19. वार्ड संख्या 31,32 और 33 में नाली निर्माण के संबंध में

याचिका

सेवा में,

बिहार विधान सभा, पटना |

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमवाली के नियम-260 के तहत जनहित में याचिका की सूचना देता हूँ :-

बक्सर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या-31, 32 एवं 33 में हाल के वर्षों में सड़क निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया गया है। किन्तु सड़कों के साथ पक्की नाली का निर्माण नहीं होने से घरेलू एवं वर्षा जल का समुचित निकास नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण इन वार्डों में लंबे समय तक जलजमाव बना रहता है। इससे स्थानीय नागरिकों को आवागमन में कठिनाई होने के साथ-साथ डेंगू, मलेरिया एवं अन्य जलजनित रोगों के फैलने की आशंका बनी रहती है। निरंतर जलजमाव के कारण नवनिर्मित सड़कों के समयपूर्व क्षतिग्रस्त होने से राजकीय धन के अपव्यय की भी संभावना है।

अतः, याचिका के माध्यम से अनुरोध है कि बक्सर नगर परिषद के वार्ड संख्या-31, 32 एवं 33 का शीघ्र तकनीकी सर्वेक्षण कराते हुए आवश्यकतानुसार पक्की नाली एवं समुचित जल निकासी व्यवस्था का निर्माण कराया जाए, ताकि जलजमाव की समस्या का स्थायी समाधान हो तथा स्थानीय नागरिकों को स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध हो सके।

प्रतिहस्ताक्षरित

आनन्द मिश्र,
स०वि०स०
200, बक्सर

याचिकाकर्ता का नाम	हस्ताक्षर
संजय ठाकुर	संजय ठाकुर
ब्रिज नंदन सिंह	Brij Nandan Singh
अखिलेश सिंह	Akhilesh
रमेश गुप्ता	रमेश गुप्ता
श्रीराम शाह	Sri Ram Shah

20. भोजपुरी भाषा को विशेष पहचान दिलाना

आनन्द मिश्र
विधायक, 200-बक्सर,
सदस्य, प्राक्कलन समिति,
बिहार विधान सभा

बिहार सरकार

Anand Mishra
MLA, 200-Buxar,
Member, Estimates Committee,
Bihar Legislative Assembly

No. MLA/200BXR/2026-562 Date 07-07-2026

गैर सरकारी संकल्प

सचिव

बिहार विधान सभा , पटना ।

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि विश्वभर में लगभग १० करोड़ से अधिक लोगों की मातृभाषा, अपनी विशिष्ट कैथी लिपि और अत्यंत समृद्ध साहित्यिक एवं सांस्कृतिक इतिहास रखने वाली भोजपुरी भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में अविलम्ब शामिल करावें ।"

भवदीय

आनन्द मिश्र
सदस्य, बिहार विधान सभा
बक्सर (200)